राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 6196/2022

अशोक कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुंझुनू।
5. नवीन कुमार वर्तमान पदस्थापित राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल, कांकडा, जिला झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.12.2022
आदेश की दिनांक : 14.12.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अनिल महला, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कांकडा, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 28.10.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालेरा, जिला चूरू किया गया है तथा आदेश दिनांक 03.11.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी की पदोन्नति उपरांत उसे वर्ष 2016 में वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया था, फिर भी निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के उद्देश्य से अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 150 कि.मी. दूर कर दिया गया है, जो स्थानान्तरण

नीति एवं नियमों के विरूद्ध है। अपीलार्थी व उसकी पत्नी दोनों हृदय की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिनका निरंतर उपचार चल रहा है, जो अनुलग्नक–5 से प्रकट होता है। अपीलार्थी की सेवाएं हमेशा ईमानदार व संतोषजनक रही है, फिर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 के द्वारा कर दिया गया, जो अनुचित व अवैध है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 28.10.2022 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 03.11.2022 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत ना करते हुए मौखिक रूप से बहस की है कि आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरण नीति एवं नियमों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई नियम विरूद्धता नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कांकडा, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं छात्रहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of*

malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."

अपीलार्थी ने अपील में स्वयं का 150 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted.

The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)